न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –79 /2019 (Bank Case)

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोनक कुमार बानिक पुत्र श्री आशित कुमार बानिक, शाखा कार्यालय–पहली मंजिल, 10–डी,पंजवानी कॉम्पलैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने , गुमानपुरा कोटा–324007 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत–प्लॉट नं0 15, 6 फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. श्रीमति कमल जीत कौर पत्नि श्री गुरलाल सिंह, निवासी–शक्ति किराना स्टोर की गली रायपुरा जिला–कोटा–324001

––(ऋणी)

2. श्री गुरलाल सिंह पुत्र श्री बोगद सिंह, निवासी–शक्ति किराना स्टोर की गली, रायपुरा जिला–कोटा–324008

––(सहऋणी)

3. श्री रीयाज अहमद, निवासी धाकड़ खेडी, जिला–कोटा 324008

––(गारन्टर)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 02.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है इण्डिया शेल्टरफाईनेन्स कॉर्पोरेशन लि0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोनक कुमार बानिक पुत्र श्री आशित कुमार बानिक, शाखा कार्यालय–पहली मंजिल, 10–डी,पंजवानी कॉम्पलैक्स, मल्टीपरपज स्कूल के सामने, गुमानपुरा कोटा–324007 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा पंजिकृत–प्लॉट नं0 15, 6 फ्लोर इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 08.11.2017 से कुल रूपये 7,00,000/– (अक्षरेः रूपये सात लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी नं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति रायपुरा, तह0 लाडपुरा में स्थित आवासीय भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 485.25 वर्गफीट है ।** जिसका पट्टा नगर निगम **कोटा द्वारा कमांक/न. नि.को/नियगन/447 दिनांक 10.4.2013 से जारी किया गया है जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2016 से श्री गुरलाल सिंह आत्मज श्री बोगड सिंह के नाम है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 7,14,424/– (अक्षरे रूपये सात लाख, चौदह हजार, चार सौ चौबीस मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र**

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र **The Economic Times** में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन कराने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र **The Economic Times** में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन कराने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 15.12.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र **The Economic Times** में दिनांक 15.12.2018 को प्रकाशन कराने के बावजूद भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे अचल सम्पत्ति रायपुरा, तह० लाडपुरा में स्थित आवासीय भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 485.25 वर्गफीट है । जिसका पट्टा नगर निगम कोटा द्वारा क्रमांक/न.नि.को/नियमन/447 दिनांक 10.4.2013 से जारी किया गया है जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2016 से श्री गुरलाल सिंह आत्मज श्री बोगड सिंह के नाम है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 02.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला कलक्टर ... (राजस्थान)

Scanned by CamScanner